प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 48/2022)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने "एम2एम कम्युनिकेशंस के लिए एम्बेडेड सिम" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "एम2एम कम्युनिकेशंस के लिए एम्बेडेड सिम" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 9 नवंबर 2021 के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में ई-सिम के समग्र परिनियोजन के लिए जिसमें विभिन्न प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन के तहत कार्यान्वयन तंत्र और टीएसपी द्वारा प्रोफाइल का स्विच ओवर शामिल है, के लिए भादूविप्रा की अनुशंसाएं मांगी हैं।

2. इस संबंध में, "एम2एम कम्युनिकेशंस के लिए एम्बेडेड सिम" पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in.) पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हितधारकों से उनकी राय मांगी गयी है। इस परामर्श पत्र में, हितधारकों के विचार और टिप्पणियों के लिए, विभिन्न प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन के तहत कार्यान्वयन तंत्र और टीएसपी द्वारा प्रोफाइल के स्विच ओवर सहित भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में ईयूआईसीसी (एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड) की समग्र तैनाती से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां 22 अगस्त 2022 तक और प्रति-टिप्पणियां 5 सितंबर 2022 तक आमंत्रित की जाती हैं।

3. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम और लाईसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा